भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2071**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्याज के निर्यात पर रोक

2071. श्री रवनीत सिंहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है तथा प्याज की कमी के कारण कतिपय समय के लिए भंडारण सीमा लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्याज की कमी की समस्या के समाधान के लिए कोई दीर्घकालिक पहल करने की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने अधिसूचना सं. 21/2015-2020 के तहत 29.09.2019 से प्याज की सभी किस्मों का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। बाद में, सरकार ने अधिसूचना सं. 27/2015-2020 के तहत 28.10.2019 से 30.11.2019 की अवधि के दौरान 9,000 एमटी की मात्रा तक बंगलुरू रोज प्याज के निर्यात एवं अधिसूचना सं.46/2015-2020 के तहत 06.02.2020 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान 10,000 एमटी की मात्रा तक कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। तथापि, सरकार ने दिनांक 02.03.2020 की अधिसूचना सं. 49/2015-20 के तहत 15 मार्च, 2020 से बिना किसी शर्त के प्याज की सभी किस्मों के 'मुक्त' निर्यात की अनुमति दी है और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात से संबंधित अधिसूचना सं.46/2015-20 दिनांक 15.03.2020 से वापस ले लिया है। साथ ही, सरकार ने दिनांक 29.09.2019 की अधिसूचना का.आ.3540(अ) के तहत शुरूआत में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के थोक विक्रेताओं के लिए 50 एमटी तक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए 10 एमटी तक प्याज को भंडारित करने के लिए स्टॉक सीमा अधिरोपित की थी जिसे अब प्याज की कीमतों में आई कमी एवं अनुमानित बंपर रबी फसल, जो बेहतर आवक और उपलब्धता का संकेत देती है, को देखते हुए दिनांक 27.02.2020 की अधिसूचना सं.9017(अ) के तहत हटा दिया गया है।

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2289**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत से चाय का निर्यात

2289. डॉ॰ सुभाष सरकारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से निर्यात की गई चाय के आंकड़े हैं और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लघु चाय उत्पादकों के लिए कोई विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव या योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कुल चाय उत्पादन बढाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : चाय बोर्ड चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश के तहत पंजीकृत निर्यातकों से रिटर्न के रूप में निर्यात आंकडे एकत्र करता है । राज्य - वार निर्यात आंकडे एकत्र नहीं किये जाते हैं क्योंकि अधिकांश चाय व्यापारी निर्यातकों द्वारा निर्यात की जाती है जो निर्यात उद्देश्यों के लिए चाय का मिश्रण करते हैं ।

तथापि,, विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न बंदरगाहों से एवं संपूर्ण भारत से निर्यातित भारतीय चाय का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	पश्चिम बंगाल के बंदरगाहों से निर्यात		अखिल भारतीय निर्यात	
	मात्रा (मि. किग्रा में)	मूल्य (करोड़ रूपए)	मात्रा (मि. किग्रा में)	मूल्य (करोड़ रूपए)
2016-17	114.07	2512.23	227.63	4632.50
2017-18	133.10	2861.64	256.57	5064.88
2018-19	131.52	3113.74	254.50	5506.84
2019-20	95.44	2345.39	184.63	4191.79

(अप्रैल - दिस.)*				
2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर)	96.28	2281.68	190.84	4088.01

*अनंतिम, संशोधन के अध्यधीन

स्रोत : चाय बोर्ड , कोलकाता

(ख) एवं (ग) : चाय बोर्ड चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम (टीडीपीएस) के तहत पश्चिम बंगाल सहित संपूर्ण देश के छोटे चाय उपजकर्ताओं को पुर्नरोपण , कायाकल्प, छटाई, सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), खेत के मशीनीकरण के लिए सहायता, कृषक ऊपजकर्ता संगठनों (एफपीओ) को सहायता, एसएचजी एंड एफपीओ को वार्षिक पुरस्कार, एफपीओ द्वारा नए कारखानों की स्थापना, लघु कारखानों की स्थापना, कार्यशाला/प्रशिक्षण और जैविक कृषि /जैविक रूपान्तरण के विकास एवं संवर्धन आदि के लिए सहायता प्रदान करता है । वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान चाय बोर्ड ने विभिन्न छोटे ऊपजकर्ता क्रियाकलापों के तहत पश्चिम बंगाल में छोटे चाय ऊपजकर्ताओं के लाभ के लिए 6.97 करोड रूपए संवितरित किए।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2280**

(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत के निर्यात पर वैश्विक प्रभाव

2280. श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में और वर्तमान आर्थिक मंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मांग में कमी के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों की तुलना में 2018–19 के दौरान भारत के निर्यात में आई गिरावट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापार में अत्यधिक गिरावट वाली निर्यात की मुख्य मदों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से, विश्व ने आर्थिक वृद्धि और व्यापार में काफी चुनौतियां देखी हैं । वर्तमान स्थिति के संबंध में, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की दिनांक 01.10.2019 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2019 में, विश्व पण्यवस्तु व्यापार में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया । यह अप्रैल 2019 में डब्ल्यूटीओ द्वारा पूर्व प्रक्षेपित 2.6 प्रतिशत की व्यापार वृद्धि से काफी कम है ।

इस अशांत वैश्विक परिदृश्य में, हाल के वर्षों में भारतीय निर्यात को चुनौतीपूर्ण अवधि का सामना करना पडा है । हालांकि, बेहतर लॉजिस्टिक्स, मानव इंटरफेस को कम करने के लिए वर्धित डिजीटलीकरण के माध्यम से सुविधा और निर्यातकों को प्रोत्साहन और सुगमता के उद्देश्य से सरकारी स्कीमों की पारदर्शिता में वृद्धि, जीएसटी के कार्यान्वयन मुद्दों के त्वरित समाधान, स्किलिंग के माध्यम से क्षमता निर्माण आदि जैसे संगठित प्रयासों के माध्यम से सरकार भारत को प्रभावित करने वाली मंदी को रोकने में सक्षम रही तथा हमारे पण्यवस्तु निर्यात विगत तीन वर्षों में चिरकालिक आधार पर 2018-19 में 330.1 बिलियन अम. डॉ. के नए शीर्ष पर पहुंच गए, जैसाकि अधोलिखित तालिका में वर्णित है:-

विगत 3 वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात (बिलियन अम. डा.)	% परिवर्तन	निर्यात(बिलियन अम. डा) (पेट्रोलियम उत्पाद एवं रत्न एवं आभूषण को छोड़कर)	% परिवर्तन
2016-17	275.85	-	200.89	-
2017-18	303.53	10.03	224.51	11.77
2018-19	330.07	8.75	243.27	8.35

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

उपयुक्त तालिका से पता चलता है कि भारत के पण्यवस्तु निर्यात में 2016-17 में 275.85 बिलियन अम. डा. से 2017-18 में 303.53 बिलियन अम. डा. और 2018-19 में 330;07 बिलियन अम. डा. तक वृद्धि हुई, जिससे विगत वर्ष की तुलना में 10.03 प्रतिशत एवं 8.75 की एक सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। पेट्रोलियम उत्पाद एवं रत्न आभूषण को छोड़कर भारत का पण्यवस्तु निर्यात 2016-17 में 200.89 बिलियन अम. डा. से बढ़कर 2017-18 में 224.51 बिलियन अम. डा. एवं 2018-19 में 243.27 बिलियन अम. डा. हो गया जिससे विगत वर्ष की तुलना में 11.77 प्रतिशत एवं 8.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख वस्तु समूह के संदर्भ में उनके निर्यात निष्पादन के ब्यौरे संलग्न हैं।

भारत का निर्यात निष्पादन

% परिवर्तन

क्रम सं.	वस्तु	वृद्धि / ह्रास % अप्रैल'18-मार्च'19
1	लौह अयस्क	-10.53
2	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	38.91
3	मसाले	5.03
4	तिलहन	1.81
5	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	11.03
6	सिरेमिक उत्पाद और ग्लासवेयर	23.64
7	फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्मितियाँ	-3.03
8	चाय	-0.75
9	जैविक एवं अजैविक रसायन	21.96
10	समुद्री उत्पाद	-8.06
11	सभी कपड़ों के आर.एम.जी.	-3.40
12	अनाज सामग्री एवं विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं	8.95
13	हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प	0.86
14	अभियांत्रिकी वस्तुएं	6.36
15	कृत्रिम धागे/कपडे/मेडअप्स	3.15
16	तंबाकू	5.22
17	अभ्रक , कोयला एवं अन्य अयस्क, प्रसस्कृत खनिज सहित खनिज	10.49
18	कालीन	3.63
19	रत्न एवं आभूषण	-3.67
20	अन्य	17.34
21	पेट्रोलियम उत्पाद	28.00
22	चमड़ा और चमडा उत्पाद	-2.81
23	कॉफ़ी	-15.12
24	फल एवं सब्जियां	-4.71
25	कपास के धागे/कपड़े /मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि	9.22
26	प्लास्टिक एवं लिनोलियम	25.61
27	मांस, दुग्ध एवं कुक्कुट उत्पाद	-5.35
28	काजू	-29.06
29	चावल	-2.25
30	तेल खाद्य	33.73
31	अन्य अनाज	27.6
	समग्र वृद्धि (%)	**9.00**

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2253**

दिनांक 04, मार्च 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत में एसईजेड का दर्जा

2253. श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ख) क्या उक्त नीति में खामियां सामने आई है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी राजस्व घाटा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संबंधित कानून और/अथवा इससे संबंधित प्रक्रिया में संशोधनों सहित एसईजेड नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल 2000 में शुरू की गई । विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 संसद द्वारा मई 2005 में पारित किया गया जिस पर राष्ट्रपति की सम्मति 23 जून, 2005 को प्राप्त हुई । एसईजेड नियम, 2006, 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुए । एसईजेड स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है : -

(i) एसईजेड में प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजनार्थ एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एनक्लेव को भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के रूप में माना जाएगा ;

(ii) आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है;

(iii) विनिर्माण अथवा सेवा कार्यकलापों की अनुमति;

(iv) इकाई सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय प्राप्त करेगी जिसकी संचयी गणना उत्पादन शुरू होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी ;

(v) घरेलू बिक्री लागू पूर्ण सीमा शुल्क और आयात नीति के अध्यधीन है;

(vi) एसईजेड इकाइंया उप - संविदा के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगी ;

(vii) निर्यात / आयात कार्गो की कस्टम प्राधिकारियों द्वारा कोई नैमित्तिक जांच नहीं ;

(viii) एसईजेड डेवलपर्स / को - डेवलपर्स और इकाइयों को एसईजेड अधिनियम, 2005 में निर्धारित के अनुसार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का लाभ मिलेगा ।

(ख) : एसईजेड को अनुमत वित्तीय रियायतें/शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 में अंतर्निहित हैं । ये छूट निर्यात के लिए प्रोत्साहन के रूप में तथा नियमों के अनुसरण में है जो सामान्यत: सरकार के निर्यात संवर्धन गतिविधियों को निदेर्शित करती है । प्रदान किए गए प्रोत्साहन सार्वजनिक नीति से संबंधित कार्य है और उसे राजस्व की हानि के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

(ग) और (घ) सरकार ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य विभाग के दिनांक 04.06.2018 के आदेश के तहत श्री बाबा कल्याणी, की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन किया है । समूह ने दिनांक 19.11.2018 को माननीय सीआईएम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस समूह की अनेक सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया है जो के **अनुबंध** में है ।

****

दिनांक 04 मार्च, 2020 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2253 का अनुबंध

समूह की सिफारिशें जिन पर पहले ही कार्यवाही हो चुकी है, निम्न प्रकार हैं ।

- "मेक इन इंडिया" पहल, विशेषकर आर्थिक महत्व की परियोजनाओं, के प्रकाश में एनएफई गणना में प्रस्तावित समीक्षा विशिष्ट अपवर्जन- सिफारिश में यह मांग की गयी कि 19.09.2018 से पहले की स्थिति को बनाये रखा जाए । तदनुसार, मार्च-2019 में एसईजेड नियम में उपयुक्त संशोधन करके उसे कार्यान्वित किया गया ।
- विशिष्ट अनुमोदन पर शुल्क से छूट प्राप्त परिसंपत्तियों / अवसंरचना इकाइयों के बीच शेयरिंग की अनुमति दी जाए– इस संस्तुति के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 11.06.2019 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसमें एसईजेड इकाइयों के बीच सांझा अवसंरचना जैसे कैंटीन/डाटा सेंटर को एक विशेष अनुमोदन देकर उपयोग की अनुमति दी गई।
- एनएफई गणना में स्वदेशी वस्तुओं के समावेशन का अपवर्जन करना चाहिए क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं की खरीद पर कोई विदेशी मुद्रा आऊटफ्लो नहीं होता है और यह एनएफई के उद्देश्य एवं ईओयू के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के विरूद्ध हैं - मार्च-2019 में एसईजेड नियम में उपयुक्त संशोधन करके इसे कार्यान्वित किया गया।
- एन्क्लेवों के लिए "अनधिसूचन" प्रक्रिया को औपचारिक बनाना और इसका केवल एसईजेड उद्देश्य के लिए वर्तमान अनिवार्य उपयोग को डीलिंक करना - यह संस्तुति राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को प्रतिलिपि के साथ सभी डीसी को जारी तारीख 28.01.2019 के उपयुक्त स्पष्टीकरण के जरिए कार्यान्वित की गई जिसमें अनिवार्य उपयोग आवश्यकताओं से छूट दी गई जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि गैर- अधिसूचित भूमि केवल एसईजेड उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी।
- विनिर्माण क्षेत्रों की सर्विसिफिकेशन के लिए सहायता । विनिर्माण सक्षम सेवा कंपनियों जैसे आर एंड डी सेवाओं, अभियांत्रिकी डिजाइन सेवाओं, संभार तत्र सेवाओं को अनुमति देना - यह सिफारिश 17.12.2019 को एसईजेड नियमों के नियम 5 में उपयुक्त संशोधन करके कार्यान्वित की गई जिसमें सभी मौजूद एवं भावी एसईजेड को मल्टी सेक्टर एसईजेड माना गया, जिसमें किसी अन्य क्षेत्र के साथ किसी क्षेत्र की एसईजेड इकाइयों के सह अस्तित्व की अनुमति है ।
- सेवाओं की ब्रांड-बैंडिंग परिभाषा/मल्टीपल सेवाओं को साथ आने की अनुमति देना- यह सिफारिश 17.12.2019 को एसईजेड नियमों के नियम 5 में उपयुक्त संशोधन करके कार्यान्वित की गई जिसमें सभी मौजूदा एवं भावी एसईजेड को मल्टी सेक्टर एसईजेड माना गया जिसमें किसी अन्य क्षेत्र के साथ किसी क्षेत्र की एसईजेड की इकाइयों के सह अस्तित्व की अनुमति है
- न्यूनतम भूमि/विनिर्मित क्षेत्र आवश्यकता की समीक्षा/छूट- इस सिफारिश को 17.12.2019 के एसईजेड नियमों के नियम 5 में उपयुक्त संशोधन करके कार्यान्वित किया गया जिसमें मल्टी सेक्टर एसईजेड की स्थापना करने के लिए न्यूनतम भू- क्षेत्र की आवश्यकता को पहले की 500 हैक्टेयर से घटाकर 50 हैक्टेयर की छूट दी गई है।
- विकासकर्ता को राज्य नीतियों के अनुसरण में क्षेत्रों में पणधारियों के साथ दीर्घकालिक पट्टा करार करने के लिए लचीले पन की अनुमति देनी चाहिए - इस सिफारिश को दिनाक 29.08.2019 के अनुदेश सं. 98 के जरिए कार्यान्वित किया गया जिसके द्वारा पट्टा अवधि में छूट की अनुमति के लिए पहले निर्धारित 30 वर्षों की अधिकतम पट्टा अवधि में छूट दी गई, यह छूट राज्य/स्थानीय सरकारी कानूनों/विनियमों के तहत अनुमत अधिकतम अवधि के अनुसार होगी ।

- विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से दस वर्षों की अवधि के परे डेवलपर या को-डेवलपर द्वारा न्यूनतम बिल्ट-अप क्षेत्र के निर्माण के लिए आवेदन पर- बीओए द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर विचार किया जाए-इस सिफारिश को 17.12.2019 को एसईजेड नियमों के

नियम 9 में उपयुक्त संशोधन करके कार्यान्वित किया गया जिसके द्वारा अनुमोदन बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वह पूर्व में निर्धारित दस वर्षों की अवधि से परे समय विस्तार के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर विचार करें ।

- <u>एक सह-विकासकर्त्ता से दूसरे सह-विकासकर्त्ता को अनुमोदन के अन्तरण के लिए समर्थीकरण प्रावधान</u>- इस सिफारिश की जॉच की गई है और इसे अनुमोदन बोर्ड, जो प्रत्येक मामले की जांच करता है और गुणावगुण आधार पर प्रस्तावों का अनुमोदन करता है, की प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- <u>एसईजेड के लिए अंतिम स्थल तक सम्पर्क हेतु तंत्र को निधि प्रदान करना</u>- अंतिम स्थल तक सम्पर्क अवसंरचना की आवश्यकता को निधि प्रदान करने के लिए एक तंत्र को टीआईईएस की मौजूदा स्कीम के तहत सक्षम बनाया गया है, जिसे जनवरी 2020 में विकास आयुक्तों को समुचित अनुदेश देकर स्पष्ट किया गया है।

समूह की सिफारिशों के अतिरिक्त, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सक्षम बनाने और लचीलापन बढाने के लिए निम्नलिखित अन्य कदम उठाए गए हैं:-

- विकास आयुक्त को उनके क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत एक एसईजेड से अन्य एसईजेड में एसईजेड इकाई को अन्तरित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करना-इससे पूर्व किसी एसईजेड इकाई के एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में अन्तरित करने के ऐसे प्रस्तावों को वाणिज्य सचिव के स्तर पर प्रोसेस एवं स्वीकृत किया जाता था, इसे अब क्षेत्राधिकार वाले विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित कर दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में इकाई की स्थापना करने सहित किसी एसईजेड में इकाई की स्थापना करने के लिए पात्रता पर विचार करने हेतु किसी ट्रस्ट को सक्षम बनाना । यह भारत सरकार को लचीलापन प्रदान करेगी कि वह समय समय पर किसी एसईजेड में इकाई की स्थापना के लिए अधिसूचित होने वाली किसी भी संस्था को इसमें शामिल कर सके ।
- एसईजेड इकाईयों में कैफेटेरिया, जिमनाजियम, क्रेच और अन्य ऐसी ही सुविधाओं/साधनों की स्थापना की अनुमति-एसईजेड इकाईयों में कैफेटेरिया, जिमनाजियम, क्रेच और ऐसी ही अन्य सुविधाओं/साधनों की स्थापना करने के लिए एसईजेड इकाईयों के अनुरोध पर दिनॉक 11.06.2019 के समुचित अनुदेशों के तहत अनुमति दी गई है।
- वर्क फ्रॉम होम नीति के लिए संशोधित दिशा-निर्देश- एसईजेड के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति प्रदान करने के लिए मार्च 2019 में एसईजेड नियमों में संशोधन करके संशोधित दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।
- एसईजेड को सेवाओं की एक-समान सूची-इसमें एसईजेड इकाईयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं की व्यापक सूची का प्रावधान है जिसके द्वारा ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए इकाई द्वारा विकास आयुक्त से अनुमति लेने की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2239**

दिनांक 04, मार्च 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लाभ

2239. श्री पंकज चौधरीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लघु तथा मंझोले निर्यातकों को विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लाभ नहीं मिल रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इनके लाभ लघु एवं मंझोले निर्यातकों को प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है;
(ग) वैश्विक व्यापार को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या हैं; और
(घ) क्या सरकार ने लघु एवं मंझोले निर्यातकों को कोई पैकेज देने का विचार बनाया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) प्रशुल्क रियायतें प्रदान करते हैं जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) से संबंधित उत्पादों सहित उत्पादों के निर्यात के अवसर उपलब्ध होते हैं । कुछ एसएमई उत्पाद जिन पर जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ आसियान देशों जैसे व्यापारिक भागीदारों द्वारा प्रशुल्क रियायतें प्रदान कराई गई हैं वे रेडीमेड वस्त्र, चमड़े की वस्तु, प्रसंस्कृत खाद्य और ऑटो उपकरणों जैसे अभियांत्रिकी उत्पादों की श्रेणी में आती हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना, निर्यात के लिए पैकेजिंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, एमएसएमई निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम और गुणवत्ताप्रद उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं । सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय जो एसएमई से व्यापार को बढ़ावा देंगे तथा निर्यात लाभ प्रदान करेंगे, वे हैं नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के तहत विशिष्ट स्कीमें जैसे पोतलदान पूर्व एवं पोतलदान पश्चात रूपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस), भारत सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस), एसएमई को सिंगल स्टार निर्यात घराने का दर्जा देने के लिए निर्यात हकदारी हेतु दुगुना महत्व, विशिष्ट एफटीपी स्कीमों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना तथा जारी करना, उद्गम के अधिमान्य प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म आदि। व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से संभारतंत्र क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक संभारतंत्र प्रभाग बनाया गया है, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ नई स्कीमें और नीतियॉ आरंभ की गई हैं, वे है कृषि निर्यात नीति, निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए)।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2235

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

काजू प्रसंस्करण क्षेत्र

2235. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल में काजू प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्तीय संकट होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार काजू उद्योग में प्रमुख तथा उक्त महिला कर्मचारियों की मदद करने के लिए व्यापक राहत पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन काजू फैक्ट्रियों को मॉनीटर किया है जिन्होंने कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपना हिस्सा नहीं दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार के संज्ञान में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काजू गिरी की आपूर्ति की स्थिति के कारण काजू उद्योग के कुछ भागों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) और (घ): सरकार ने काजू उद्योग को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए कई उपाय किए हैं :

(i) दिनांक 12 जून, 2019 की अधिसूचना के तहत काजू की गिरी, साबुत और टूटी हुई दोनों के लिए, आयात नीति को 'मुक्त' से बदलकर 'निषिद्ध' कर दिया गया है और आयात की अनुमति तभी दी जाती है जब टूटी काजू गिरी का सीआईएफ मूल्य 680/- रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक और साबुत काजू गिरी का सीआईएफ मूल्य 720/-रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक होता है।

(ii) दिनांक 01.02.2018 से कच्ची काजू गिरी के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) काजू गिरी के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iv) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा के तहत, काजू के लिए भारतीय पण्यवस्तु निर्यात स्कीम को काजू गिरी के लिए (3 प्रतिशत से) बढ़ाकर 5 प्रतिशत और नमकीन/भुने हुए काजू के लिए (5 प्रतिशत से) बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था।

(v) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत, आयातित कच्ची काजू गिरी से काजू गिरी के निर्यात के लिए स्टेंडर्ड इनपुट आउटपुट नार्म्स (एसआईओएन) को 4 किलोग्राम कच्ची काजू गिरी से 1 किलोग्राम के पिछले मानदंड के स्थान पर 5.04 किलोग्राम कच्ची काजू गिरी से 1 किलोग्राम काजू गिरी के लिए संशोधित कर दिया गया है।

(vi) काजू प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोसेस मेकेनाइजेशन और ऑटोमेशन के लिए 60.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से मध्यावधि फ्रेमवर्क (2017-20) स्कीम स्वीकृत की गई।

(vii) अल्प विकसित देशों (एलडीसी) से कच्ची काजू गिरी के शुल्क मुक्त टैरिफ प्रीफ्रेंस (डीएफटीपी) स्कीम के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात को अनुमति दी गई है।

(viii) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) को क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन और बाजार पहुंच पहल स्कीम के अंतर्गत नए बाजारों और ब्रांडिंग को टैप करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ड.) और (च) : ईएसआई अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों के अनुपालन की स्थिति को ईएसआई निगम द्वारा मॉनिटर किया जाता है तथा ईएसआई अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत, काजू कारखानों सहित, दोषी कारखानों / प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केरल में 131 गैर-अनुपालन काजू कारखानें हैं तथा अधिकतर मामलों में दोषी के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, "डिफाल्ट मैनेजमेंट" व्यवस्था के माध्यम से मासिक आधार पर दोषी प्रतिष्ठानों की निगरानी करता है। अधिनियम में दोषी प्रतिष्ठानों के बकायों के आकलन का प्रावधान है। 75 दोषी काजू प्रतिष्ठानों के संबंध में जॉच पूरी की जा चुकी है तथा केरल में रू.206.82 लाख की धनराशि का आकलन किया गया है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2234

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

आरओएससीटीएल और एमईआईएस से लाभ

2234. श्री अच्युतानंद सामंतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत वर्ष में राज्य और केंद्रीय कर और उगाही (आरओएससीटीएल) तथा भारत योजना से व्यापार निर्यात (एमईआईएस) की छूट के अंतर्गत परिधान विनिर्माताओं या निर्यातकों को देय या दिए गए कर लाभों और प्रतिदायों के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एमईआईएस योजना को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त करने से परिधान निर्यात क्षेत्र को होने वाली संभावित कठिनाई को देखते हुए क्या सरकार इस तरह की समाप्ति की समीक्षा करने पर या भविष्य में कम से कम लाभ प्रदान करने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 14.01.2020 की अधिसूचना के अनुपालन में उन परिधानों और निर्मितियों के निर्यात हेतु पोत पर्यन्त निशुल्क (एफओबी) मूल्य का 1 प्रतिशत तक विशेष एक कालिक अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है जो राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) और भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के जोड़ के मुकाबले राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) के अंतर्गत कम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार दिनांक 07.03.2019 से परिधान और निर्मितियों हेतु एमईआईएस भी समाप्त कर दी गई है। उपर्युक्त अधिसूचना को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 22.02.2020 को एक ऑनलाइन मोडयूल प्रचालित किया गया है जिसके माध्यम से निर्यातक आरओएससीटीएल और 1 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन दावे कर सकते हैं। दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 की निर्यात अवधि हेतु सभी आवेदनों के प्राप्त होने पर आरओएससीटीएल के अंतर्गत रिफंड और अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन राशियों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध होगा जिसकी अंतिम तिथि 30.06.2020 है।

(ख) वर्तमान में परिधान और निर्मितियों के क्षेत्र हेतु एमईआईएस को समाप्त किए जाने की कोई समीक्षा करने अथवा अल्प समय के लिए एमईआईएस के लाभों को दिए जाने की अवधि बढ़ाने हेतु कोई विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि 1 प्रतिशत तदर्थ प्रोत्साहन राशि पहले ही प्रदान की गई है। इसके अलावा आरओएससीटीएल स्कीम जो आरओएसएल और एमईआईएस के जोड़ के मुकाबले लाभ प्रदान करती है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रावधानों के संगत होने की वजह से भी प्रचालित की गई है जिसके द्वारा इन क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2177

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत को सबसे बड़ा निर्यातक देश बनाना

2177. श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्टः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत को सबसे बड़ा निर्यातक देश बनाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): डब्ल्यूटीओ के नवीनतम अनुमानों के अनुसार विश्व निर्यात (वस्तुएं और सेवाएं) में भारत का हिस्सा 2.1 प्रतिशत है और इसे व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 19वां और सेवाओं के निर्यात में 8वां रैंक दिया गया है।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैंः–

(i) नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2015 को किया गया था। इस नीति में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए 'भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस)' और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों को पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाया गया।

(ii) विदेश व्यापार नीति 2015–20 की 5 दिसम्बर, 2017 को की गई मध्यावधि समीक्षा के आधार पर, श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

(iii) लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

(iv) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

(v) व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए, आयातक निर्यातक कोडों (आईईसी) को ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष

2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से सुधरकर 80 हो गया।

(vi) देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

(vii) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

(viii) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) प्रारंभ की गई है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2165

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात में गिरावट

2165. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में महीने–वार और क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात निम्नानुसार हैः

वर्ष	निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)	प्रतिशत परिवर्तन	निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में) पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर	प्रतिशत परिवर्तन
2016–17	275.85	–	200.89	–
2017–18	303.53	10.03	224.51	11.77
2018–19	330.07	8.75	243.27	8.35
2018–19 (अप्रैल–जनवरी)	270.49	–	197.59	–
2019.20 (अप्रैल–जनवरी)*	265.26	–1.93	197.60	0.01

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस *अनंतिम

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2016–17 में 275.85 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 303.53 अमेरिकी बिलियन डॉलर और वर्ष 2018–19 में 330.07 अमेरिकी बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.03 और 8.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2016–17 में 200.89 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 224.51 अमेरिकी बिलियन डॉलर और वर्ष 2018–19 में 243.27 अमेरिकी बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.77 प्रतिशत और 8.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है और मौजूदा वर्ष (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020) के दौरान 0.01 प्रतिशत की सकारत्मक वृद्धि हुई है। मौजूदा वर्ष (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020) हेतु माह–वार और क्षेत्र–वार व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात **अनुलग्नक–I** पर है।

(ग): भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के क्रम में, सरकार द्वारा उठाएं गए कुछ कदम निम्नानुसार हैंः–

(i) नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2015 को किया गया था। इस नीति में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों को पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाया गया।

(ii) विदेश व्यापार नीति 2015–20 की 5 दिसम्बर, 2017 को की गई मध्यावधि समीक्षा के आधार पर श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

(iii) लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

(iv) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिसमें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

(v) व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए आयातक निर्यातक कोडों (आईईसी) को ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से सुधरकर 80 हो गया।

(vi) देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

(vii) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

(viii) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) प्रारंभ की गई है।

*****

अनुलग्नक –I

दिनांक 4 मार्च 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2165 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

मौजूदा वर्ष (अप्रैल, 2019 से जनवरी 2020) के दौरान माह–वार और क्षेत्र–वार भारत का निर्यात

मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में

क्षेत्र	अप्रैल, 19	मई, 19	जून, 19	जुलाई, 19	अगस्त,19	सितम्बर, 19	अक्तूबर, 19	नवम्बर, 19	दिसम्बर, 19	जनवरी, 20
1) यूरोप	**5.09**	**5.78**	**5.13**	**4.91**	**5.14**	**4.92**	**4.95**	**4.65**	**5.36**	**5.34**
1.1 यूरोपीय संघ के देश	4.53	5.23	4.56	4.35	4.49	4.31	4.32	4.12	4.78	4.79
1.12 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	0.13	0.16	0.21	0.12	0.17	0.13	0.12	0.10	0.13	0.12
1.3 अन्य यूरोपीय देश	0.43	0.40	0.37	0.45	0.47	0.48	0.51	0.43	0.46	0.43
2) अफ्रीका	**2.41**	**2.46**	**2.23**	**2.61**	**2.36**	**2.54**	**2.49**	**2.37**	**2.47**	**2.39**
2.1 दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू)	0.29	0.37	0.38	0.44	0.39	0.34	0.44	0.35	0.37	0.32
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	0.18	0.26	0.19	0.28	0.25	0.32	0.22	0.23	0.26	0.22
2.3 पश्चिम अफ्रीका	0.70	0.66	0.60	0.69	0.63	0.73	0.69	0.74	0.69	0.72
2.4 मध्य अफ्रीका	0.12	0.11	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12
2.5 पूर्व अफ्रीका	0.64	0.50	0.49	0.66	0.53	0.59	0.57	0.51	0.51	0.61
2.6 उत्तर अफ्रीका	0.49	0.57	0.46	0.42	0.41	0.44	0.44	0.43	0.49	0.39
3) अमेरिका	**5.31**	**6.36**	**5.62**	**5.85**	**5.91**	**5.74**	**5.93**	**5.75**	**6.28**	**5.95**
3.1 उत्तर अमेरिका	4.63	5.49	4.83	5.01	5.09	4.92	5.14	4.83	5.31	4.98
3.2 लैटिन अमेरिका	0.68	0.87	0.79	0.84	0.83	0.82	0.79	0.93	0.98	0.97
4) एशिया	**12.70**	**14.59**	**11.21**	**12.31**	**11.87**	**12.26**	**12.11**	**12.21**	**12.49**	**11.76**
4.1 पूर्व एशिया (ओशनिया)	0.23	0.27	0.26	0.34	0.33	0.28	0.27	0.26	0.36	0.25
4.2 आसियान	3.07	3.16	2.17	2.79	2.65	2.54	2.51	2.62	2.51	2.45
4.3 पश्चिम एशिया–जीसीसी	3.23	4.41	2.91	3.33	3.10	3.10	3.43	3.41	3.48	3.24
4.4 अन्य पश्चिम एशिया	1.04	1.30	1.03	0.85	0.89	0.76	0.74	0.81	0.88	0.84
4.5 उत्तर पूर्व एशिया	3.16	3.48	3.16	3.24	3.13	3.75	3.45	3.26	3.31	3.15
4.6 दक्षिण एशिया	1.97	1.97	1.69	1.75	1.77	1.83	1.72	1.85	1.96	1.83
5) सीआईएस और बाल्टिक	**0.27**	**0.34**	**0.32**	**0.36**	**0.36**	**0.32**	**0.39**	**0.39**	**0.35**	**0.33**
5.1 सीएआर देश	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04
5.2 अन्य सीआईएस देश	0.24	0.29	0.28	0.31	0.32	0.29	0.35	0.35	0.31	0.29
6) अविनिर्दिष्ट क्षेत्र	**0.25**	**0.31**	**0.50**	**0.20**	**0.34**	**0.23**	**0.35**	**0.26**	**0.19**	**0.20**
कुल	**26.03**	**29.85**	**25.02**	**26.23**	**25.98**	**26.01**	**26.21**	**25.63**	**27.14**	**25.97**

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, आंकड़े अनंतिम हैं।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2156

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

जीसीसी द्वारा पाटनरोधी जांच

2156. श्री मोहनभाई कुंडारियाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) द्वारा सिरेमिक और संबद्ध उत्पादों पर पाटनरोधी जांच शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जीसीसी के साथ उसकी पाटनरोधी जांच की समीक्षा करने के लिए, जो घरेलू उद्योग को प्रभावित कर रहा है, अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो की गई कार्रवाई का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(**श्री पीयूष गोयल**)

(क) से (ख) : जी हॉ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्षतिरोधी पद्धतियों के तकनीकी सचिवालय ब्यूरो (टीएसएआईपी)-गल्फ को-आपरेशन कांउसिल (जीसीसी) ने नवम्बर 2018 में सऊदी सिरेमिक उद्योग से प्राप्त शिकायत के आधार पर चीन, स्पेन, भारत में उद्गमित उपशीर्षक 69073000 को छोडकर एचएस कोड 6907 के अंतर्गत सेरेमिक / विट्रीफाइड टाइलों के आयात के विरूद्ध पाटनरोधी जांच आरंभ की है। भारत से सिरेमिक टाइलों के आयात के विरूद्ध पाटन मार्जिन का निर्णय करने के लिए टीएसएआईपी-जीसीसी द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति के संबंध में भारतीय सिरेमिक उद्योग से वाणिज्य विभाग को दिसम्बर 2018 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) से (घ): उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, दिनांक 18.12.2018 को भारतीय सेरेमिक उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पाटन मार्जिन पर टीएसएआईपी - जीसीसी रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कषों पर चर्चा की गई । फरवरी 2019 में रियाध में अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति साझेदारी के लिए सऊदी सेंटर (एससीआईएसपी)

के साथ कार्यनीतिक साझेदारी पर कार्यशाला के दौरान सऊदी पक्ष के साथ भी इस मुद्दे को उठाया गया था। टीएसएआईपी - जीसीसी में भारतीय सेरेमिक उद्योग को प्रतिनिधित्व करने वाली विधि फर्म द्वारा नवंबर 2019 में प्रकटन रिपोर्ट और अरबी से हिंदी में इसका अनुवाद जारी होने के बाद दिनांक 26.11.2019 को रियाध में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने हेतु भारतीय सेरेमिक उद्योग के प्रतिनिधियों और एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, की महानिदेशक टीएसएआईपी-जीसीसी सचिवालय के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने टीएसएआईपी - जीसीसी को नवंबर 2019 में जारी प्रकटन रिपोर्ट में दर्शाई गई विसंगतियों एवं कुछ तथ्यों से अवगत कराया तथा अंतिम रिपोर्ट में इस पर विचार करने के लिए उनसे अनुरोध किया। इसके पश्चात, टीएसएआईपी - जीसीसी में भारतीय सेरेमिक उद्योग के मामले का प्रतिवाद कर रही विधि - फर्म द्वारा विधीक्षित इनपुट की दिनांक 06.12.2019 को प्राप्ति के बाद सऊदी अरब में भारतीय मिशन के माध्यम से वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जी सी सी प्राधिकारियों के साथ यह मुद्दा पुन: उठाया गया। इसके अतिरिक्त, सऊदी अरेबिया के साथ मंत्री स्तरीय बैठकों सहित प्रत्येक द्विपक्षीय बैठक में अर्थात विश्व आर्थिक मंच के साइडलाइंस पर दावोस में जनवरी 2020 में और नई दिल्ली में फरवरी 2020 में सऊदी अरब के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2143

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई निर्यात प्रोत्साहन योजना

2143. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नवीन निर्यात प्रोत्साहन योजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना मौजूदा भारत से व्यापारिक निर्यात योजना से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या नवीन योजना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अनुपालना में है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार डब्ल्यूटीओ की शर्तों से निपटने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) सरकार निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के लिए स्कीम तैयार कर रही है जिसके तहत करों/शुल्कों/लेवियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा जो वर्तमान में केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं। आरओडीटीईपी भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात (एमईआईएस) की स्कीम, जो कि एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है, से भिन्न इस सिद्धांत पर आधारित है कि निर्यातित उत्पादों पर वहन किए जाने वाले करों और लेवियों पर निर्यातकों को छूट दी जानी चाहिए या उन्हें माफ किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) आरओडीटीईपी स्कीम की संकल्पना डब्ल्यूटीओ प्रावधानों, विशेष रूप से सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते (एएससीएम) को मद्देनजर रखते हुए तैयार की जा रही है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2112

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यात ब्रांडिंग कार्यनीति की समीक्षा

2112. श्री एस॰सी॰ उदासीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्यातोन्मुखी भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए ब्रांडिंग कार्यनीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो ब्रांडिंग अभियान के लिए कितने साधनों की पहचान की गई है और एक मौका दिया गया है;

(ग) क्या आगामी तीन वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, एक्सपो और सेमीनारों में भाग लेने के लिए कोई रूप–रेखा तैयार की गई है; और

(घ) इन कार्यक्रमों में भाग लेने से होने वाली आय के अनुमानित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित इण्डिया ब्रांड इक्विटी फाउण्डेशन (आईबीईएफ) भारतीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग अभियान के माध्यम से संवर्धन एवं जागरूकता पैदा करती है। प्रमुख लक्षित बाजारों में ब्रांडिंग मोड यथा आयोजन स्थलों पर विज्ञापन, आउटडोर और प्रिंट, मीडिया वार्ता, डिजिटल विपणन (सोशल मीडिया सहित), ब्रांडिंग सामग्री के प्रयोग इत्यादि द्वारा चुनिंदा निर्यात क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी क्षमता और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए आईबीईएफ द्वारा ब्रांडिंग अभियान चलाए गए हैं। भारतीय उत्पादों के उपयुक्त समायोजन और लाभों को अधिकतम करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श द्वारा ब्रांडिंग कार्यनीति की समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) : निर्यात संवर्धन परिषदों / व्यापार संवर्धन संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों और एक्स्पो में निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक वार्षिक योजना तैयार की जाती है और बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत उन्हें सहायता दी जाती है। इन इवेंटो से अर्जन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2101

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

कच्चे रेशम और इसके उत्पादों का व्यापार

2101. श्री हरीश द्विवेदीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कच्चे रेशम/रेशम के धागों और रेशमी कपड़ों के आयात और निर्यात और उनकी कीमतों का राष्ट्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रेशम के आयात पर पाटन–रोधी शुल्क लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

*****

(क): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2019 से जनवरी 2020 तक) के दौरान कच्चे रेशम/प्राकृतिक रेशम के धागे, कपड़े, निर्मितियां/आरएमजी रेशम के मुख्य देश–वार आयात और निर्यात क्रमशः **अनुलग्नक–I और अनुलग्नक–II** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) चीन पीआरपी से उद्गमित या निर्यातित ग्रेड 3ए और उससे नीचे के मल्बेरी कच्चे रेशम पर प्रति कि.ग्रा. यूएसडी 1.85 का पाटन–रोधी शुल्क लागू है। यह शुल्क दिनांक 27.01.2021 तक वैध है।

अनुलग्नक–I

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर देने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक) के लिए प्रमुख वस्तु समूहों के तहत भारत की मुख्य मदोंः प्राकृतिक रेशम के धागे, कपड़े, निर्मितियां, रेशम, कच्चे और आरएमजी रेशम, का देश–वार आयात

(मूल्य 1000 यूएसडी में)

विवरण	देश	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (अप्रैल–जनवरी)
प्राकृतिक रेशम के धागे, कपड़े, निमिर्तियां	चीन पीआरपी	37016	45260	29935	26311
	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	6155	12577	16827	11764
	इटली	418	402	684	660
	सिंगापुर			9	471
	कोरिया आरपी	229	251	263	427
	हांगकांग	86	157	295	425
	यू के	13	84	49	214
	फ्रांस	83	49	92	195
	यूएसए	147	69	61	108
आरएमजी रेशम	चीन पीआरपी	1175	1404	1507	1815
	हांगकांग	14	9	22	643
	इटली	945	1004	3940	489
	सिंगापुर	167	200	505	486
	नेपाल	202	815	563	449
	फ्रांस	254	355	1418	277
	बांगलादेश पीआर	276	42	437	259
	स्विट्ज़रलैंड	94	90	297	214
	यू के	122	103	435	184
	स्पेन	376	527	543	135
	तुर्की	42	31	114	131
	यूएसए	47	45	61	58
रेशम, कच्चा	चीन पीआरपी	126731	144088	99126	81618
	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	22348	37098	46203	55900
	उज़्बेकिस्तान	1151	1779	3	1433
	ताइवान	52	126		459
	ब्राज़ील	405	210	80	458
	रूस				202

टिप्पणः माप की इकाइयां भिन्न हैं, मात्रा के आंकड़े योगात्मक नहीं हैं।

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस *अनंतिम

अनुलग्नक–II

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर देने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक) के लिए प्रमुख वस्तु समूहों के तहत भारत की मुख्य मदोंः प्राकृतिक रेशम के धागे, कपड़े, निर्मितियां, रेशम, कच्चे और आरएमजी रेशम का देश–वार निर्यात

(मूल्य 1000 यूएसडी में)

प्रमुख वस्तु	देश	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (अप्रैल–जनवरी)
प्राकृतिक रेशम के धागे, कपड़े, निर्मितियां	यूएसए	1099	1157	1343	3100
	यूके	708	668	557	532
	संयुक्त अरब अमीरात	553	429	280	413
	इटली	176	285	368	268
	सिंगापुर	97	106	228	229
	फ्रांस	307	137	99	173
	जर्मनी	245	253	271	152
	नेपाल	46	53	130	91
	कनाडा	375	180	118	72
	कुवैत	46	80	14	71
	स्पेन	17	37	33	58
	कतर	25	60	74	56
	नीदरलैंड	71	1	14	56
	बांगलादेश पीआर		9	123	50
आरएमजी रेशम	यूएसए	2136	1314	2334	1666
	फ्रांस	363	387	338	1177
	ऑस्ट्रेलिया	491	572	593	887
	संयुक्त अरब अमीरात	5315	9353	4227	801
	नाइजीरिया	95	254	5199	797
	यू के	556	855	636	724
	जापान	332	230	149	556
	जर्मनी	376	489	736	512
	स्पेन	323	122	282	439
	यूनान	19	9	19	379
	नीदरलैंड	102	98	151	373
	इटली	1006	951	329	332
	सूडान	175	1063	4247	237
	डेनमार्क	56	21	67	130
	नेपाल	4	36	193	111
रेशम, कच्चा	वियतनाम समाजवादी गणराज्य				76

टिप्पणः माप की इकाइयां भिन्न हैं, मात्रा के आंकड़े योगात्मक नहीं हैं।

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस *अंनतिम

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2094

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

फर्नीचर और टी.वी. सेटों का आयात

2094. सुश्री प्रतिमा भौमिकः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार फर्नीचर के आयात पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार टेलीविजन (टी.वी.) के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी के अन्तर्गत शामिल करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क), (ख) और (ग) सरकार उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित करने के लिए गुणवत्ता के मानक रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माल के आयात पर नियमित रूप से निगरानी रखती है। घरेलू उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात में वृद्धि के मामलों में भी निगरानी की जाती है। यह एक सतत और निरंतर चल रही प्रक्रिया है और जब भी आवश्यक हो सरकार उचित नीतिगत अनुक्रिया अपनाती है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2084**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

इंडोनेशिया से पाम तेल का आयात

2084. श्री एस॰ जगतरक्षकनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मलेशिया के बजाय इंडोनेशिया से पाम तेल का आयात करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो लागत प्रभावकारिता और राजकोष में बचत के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इंडोनेशिया से प्रस्तावित पाम तेल के आयात की गुणवत्ता की जांच कर ली गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : किसी देश से पाम तेल के आयात पर कोई रोक नहीं है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दिनांक 8 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 39/2015-2020 जारी की है जिसके द्वारा रिफाइंड पाम तेल (एचएस 15119010), रिफाइंड पामोलिन (एचएस 15119020) तथा अन्य (एचएस 15119090) की आयात नीति में संशोधन करके ''निःशुल्क'' से ''प्रतिबंधित'' कर दिया गया है। यह अधिसूचना, सभी देशों से आयात पर लागू है।

वर्तमान में, अशोधित पॉम तेल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2081**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

पाम तेल का आयात

2081. श्री ए॰के॰पी॰ चिनराजः
श्री ए॰ गणेशमूर्तिः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत विशेषकर मलेशिया से पामोलीन अथवा पाम तेल जैसे खाद्य तेलों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक है;

(ख) क्या मलेशिया सरकार ने हाल ही में भारत को आने वाले पाम तेल की खेप पर प्रतिबंध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मलेशिया सरकार द्वारा उक्त गंभीर निर्णय लेने के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में मलेशिया से कुल पाम तेल आयात का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार उक्त तेल की कमी से बचने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए अन्य देशों से पाम तेल के आयात के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ड.) : वर्ष 2018 के वैश्विक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व में पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक था और यह मलेशिया से भी पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक था।*

पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेशिया से कुल पाम तेल आयातों का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	आयात (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
2017	1,480.64
2018	1,339.82
2019	2,229.97

स्रोत : डीजीसीआईएस

*स्रोत : आईटीसी ट्रेड मैप

(ख) से (घ) तथा (च) एवं (छ) : मलेशिया की सरकार द्वारा भारत को पाम तेल के आवक लदान पर अधिरोपित किसी प्रतिबंध की कोई रिपोर्ट नहीं है।

किसी भी देश से पाम तेल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) एवं (घ): सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, पीक सीजन के दौरान प्रापण करके मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) स्कीम के तहत प्याज का बफर स्टॉक करती है जिससे कि लीन सीजन के दौरान कीमत स्थिरीकरण बाजार अंत:क्षेपों का निर्माण किया जा सके। 2019-20 के लिए पीएसएफ के तहत रबी प्याज का प्रापण 57.23 हजार एमटी है। इसके अतिरिक्त, प्याज की कमी की स्थिति के समाधान के लिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, उपभोक्ता मामले विभाग, उर्वरक विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सदस्यों को मिलाकर बना एक क्राप वैदर वॉच ग्रुप राज्यों के साथ बैठकों एवं वीडियो कांफ्रेंसों के जरिए प्याज फसल की बुवाई, वृद्धि एवं फसल की कटाई के समय निगरानी करते हैं। समेकित बागवानी विकास मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप न्यून लागत प्याज भंडार (25 एमटी क्षमता) का निर्माण करने के लिए किसानों को लागत (1.75 लाख रुपये/इकाई) के 50 प्रतिशत की दर से सहायता भी प्रदान की जाती है।

****